

अंतर्राष्ट्रीय प्रयास

UN की जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क

संधि (UNFCCC) → 1992 में अपनाया,
1994 से लागू।

+

2 पूरक संधियाँ

↓
क्योटो प्रोटोकॉल

↓

- 1997 में प्रस्तावित
- 2005 से लागू।
- 31-12-2019 को कार्यावाही का समापन।

↓
पेरिस जलवायु संधि

↓

2015 के पेरिस सम्मेलन (COP-21) में अपनाया गया, 2016 से लागू, 1 जनवरी 2020 से क्रियान्वयन।

UNFCCC → एक फ्रेमवर्क संधि,

- 2 पूरक संधियों को जोड़ा गया, < क्योटो
- जलवायु परिवर्तन के शमन प्रयासों के < पेरिस

लिए देशों की " साझा किन्तु पृथक्कृत
जिम्मेदारी के सिद्धांत पर आधारित "
(Common but Differentiated responsibilities - CBDR) (अनुच्छेद 3 में उल्लिखित)।

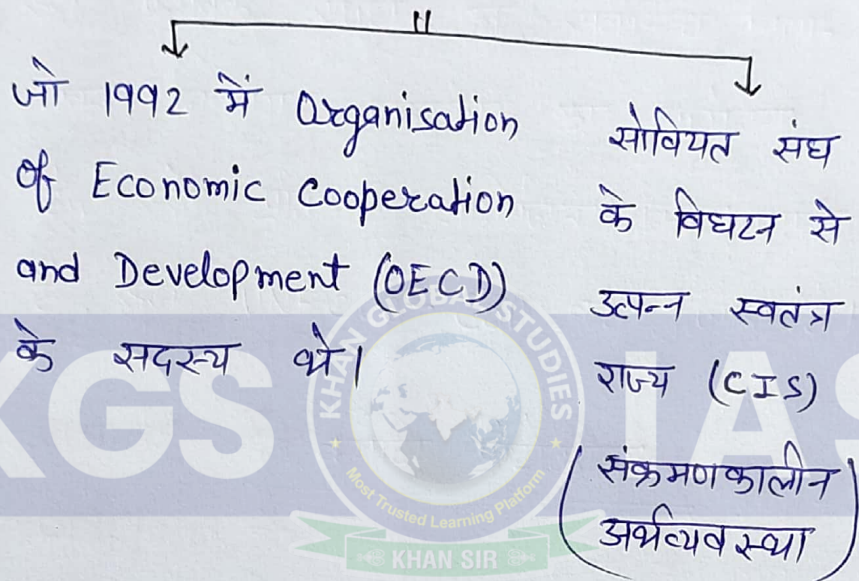
इस फ्रेमवर्क संधि का सर्वोच्च निर्णायक निकाय सदस्यों का सम्मेलन है, इसे प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, इसे UNFCCC-COP कहा जाता है।

क्वोटो प्रोटोकॉल

- # UNFCCC की एक प्रमुख संधि जिसे 1997 में अपनाया गया किन्तु यह 2005 से लागू हुआ क्योंकि लागू होने की शर्तें तब तक पूरी नहीं हो पायी थी।
- # इस प्रोटोकॉल के माध्यम से महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर

कटौती के लक्ष्य तय किए गए।
इन लक्ष्यों को औद्योगिक रूप से
विकसित देशों द्वारा लागू किया जाना
था-

2 प्रकार के देश



इन देशों को अनुबंध-1 में शामिल
किया गया और उन्हें ग्रीन हाउस
गैसों के 1990 के उत्सर्जन स्तरों के
सापेक्ष 5.2% की कटौती का लक्ष्य
दिया गया (CO_2 , CH_4 , N_2O , $3F$ gases)।

OECD के सदस्यों को अनुबंध-II में भी शामिल किया गया और इस अनुबंध में संक्रमणकालीन अवस्थाओं को नहीं जोड़ा गया।

अनुबंध-II के सदस्यों के द्वारा उत्सर्जन कटौती के अलावा विकासशील देशों को स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिए तकनीकी और आर्थिक सहायता देने की भी जिम्मेदारी दी गयी।

विकासशील देशों को किसी अनुबंध का हिस्सा नहीं रखा गया और किसी भी उत्सर्जन कटौती की जिम्मेदारी नहीं दी गयी, जिनमें भारत भी शामिल था।